राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड–डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

क्रमांकःएफ.4(220)प्रा. शि./एमडीएम/दिशा–निर्देश/2016/31 जयपुर, दिनांकः 08/04/2022

जिला कलक्टर,
जिला–समस्त

विषयः–भीषण गर्मी/लू के प्रकोप को देखते हुए मिड डे मील योजनान्तर्गत मध्यान्ह भोजन में विशेष सर्तकता बरतने के संबंध में।

महोदय,

मिड डे मील योजना में कोविड–19 की परिस्थितियों के पश्चात दिनांक 9.3.2022 से पुनः गर्म पका हुआ भोजन विद्यालयों में उपलब्ध करवाना प्रारम्भ कर दिया गया है।

वर्तमान में राज्य के अधिकांश जिलों में 40–45 डिग्री तापमान रहने के कारण मध्यान्ह भोजन के भीषण गर्मी में खराब होने की संभावना रहती है जिसके कारण अनावश्यक घटनाऐं होने की संभावना बनी रहती है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करें कि पूर्णतया ताजा बना हुआ मध्यान्ह भोजन ही विद्यालयों में वितरित किया जावें। विद्यालयों में विद्यार्थियों को भोजन वितरण करने से पूर्व एसएमसी के सदस्यों द्वारा स्वयं चखने के पश्चात ही बच्चों को परोसा जाये। मध्यान्ह भोजन योजना में समय–समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये जाते है, उन सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना तत्काल सुनिश्चित कराई जावें।

भवदीय,

(डॉ रश्मि शर्मा),
आयुक्त,
मिड–डे मील

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।

अति. आयुक्त,
मिड–डे मील

पता :– प्रशासनिक भवन, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, सम्पर्क : 0141 – 2701960, 2701694 (टेली/फैक्स),
ई–मेल mdm-rj@nic.in./rajmdm@rediffmail.com